प्रेषक,   संख्या: 431/48–2018–113 (विविध)/2004

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उ0प्र0,
लखनऊ ।

सैनिक कल्याण अनुभाग: लखनऊ : दिनांक 10 जुलाई, 2018

विषय: वीरता पुरस्कार विजेताओं को प्रदान की जाने वाली एकमुश्त एवं वार्षिकी की धनराशि में बढ़ोत्तरी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0–9001/सि0सै0सम0सम्मे0–2018/स0प0–3/1003 दिनांक–12.06.2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 में रहने वाले जल, थल, वायु सेना के ऐसे सैनिकों जिन्हें महामहिम राष्ट्रपति द्वारा युद्ध क्षेत्र में वीरता प्रदर्शित करने के फलस्वरूप परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, सेना/नौ सेना/वायु सेना मेडल (वीरता), मेन्सन इन डिस्पैच, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल एवं विशिष्ट सेवा मेडल से विभूषित किया जाता है, को राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाली नकद पुरस्कार तथा भूमि के बदले नकद धनराशि का समावेश करते हुये उक्त एकमुश्त पुरस्कार तथा वार्षिकी निम्नवत् पुनरीक्षित दरों से दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

क्र0सं0	पदक का नाम	एक मुश्त धनराशि	वार्षिकी की धनराशि
1	परमवीर चक्र	52,00,000	3,12,000
2.	महावीर चक्र	31,00,000	2,37,000
3.	वीर चक्र	20,80,000	1,37,000
4.	सेना/नौसेना/वायु सेना मेडल (वीरता)	1,00,000	15,000
5.	मेन्शन –इन– डिस्पैच	52,000	13,000
6.	सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल	3,12,000	12,000
7.	उत्तम युद्ध सेवा मेडल	2,60,000	11,000
8.	युद्ध सेवा मेडल	83,200	10,000
9.	परम विशिष्ट सेवा मेडल	2,39,000	11,000
10.	अतिविशिष्ट सेवा मेडल	1,18,000	10,000
11.	सेना/नौ सेना/वायु सेना मेडल (विशिष्ट)	90,000	9,000
12.	विशिष्ट सेवा मेडल	47,000	9,000

2. उपरोक्त पुरस्कारों के लिये एकमुश्त पुरस्कार एवं वार्षिकी की उपर्युक्त दरें इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी। एतद्विषयक पूर्व शासनादेश संख्या–157/48–2010–19(7)/72 टी0सी0 ।।। दिनांक–30.03.2010 एवं शासनादेश सं0–148/48–2016–113 (विविध)/2004 दिनांक 13.04.2016 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय । शेष पूर्व व्यवस्थायें यथावत रहेगी ।

3. उक्त पर आने वाला व्यय भार अनुदान सं0–87 के लेखाशीर्षक–2075–विविध सामान्य सेवायें–104–विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफल में पेंशन तथा पुरस्कार–04–वीर चक्र श्रृंखला के विजेताओं को राज्य सरकार का एकमुश्त नकद पुरस्कार/अनुदान–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) एवं 05–बार–टू–सेना मेडल के पुरस्कार प्राप्त उ0प्र0 के एवं सीमा सुरक्षा बल के सैनिकों को एकमुश्त सैनिक नकद पुरस्कार–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) तथा 07–विशिष्ट सेवा मेडल श्रृंखला के पदक विजेताओं को एकमुश्त अनुदान–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा ।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–2435/एसीएसएफ/2018 दिनांक–28.06.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव।

18